



राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान  
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग  
राजस्थान, जयपुर

E-mail : pd-mmjrk-rj@nic.in, co\_mmjrk.nrhm@yahoo.in Tel. No. 0141-5110731


एफ29(73)एनएचएम/एमएमजेआरके/बीपीएल काउण्टर स्टाफ/17/441

दिनांक 26-7-2017

### कार्यालय आदेश


मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना में वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा स्वीकृत पदों पर योजना में अनुबन्ध के आधार पर संविदा कार्मिक लगाये गये थे। वित्त विभाग राजस्थान सरकार ने उनकी आईडी संख्या 101700633, दिनांक 03.03.2017 के द्वारा उक्त समस्त पद समाप्त कर दिये हैं। सम्बन्धित अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला/उपखण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय एवं प्रभासी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर वित्त विभाग के आदेशों की पालना करें।

उक्त आदेश माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर वाद संख्या 3754/17 शाहबाज खान व अन्य बनाम सरकार व अन्य में सम्मिलित याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होंगे। इस वाद में यदि किसी माननीय न्यायालय में कोई प्रकरण लम्बित है तो उक्त आदेश उक्त निर्णय के अन्तर्गत होगा।

  
शासन सचिव,  
चिकित्सा, स्वास्थ्य, प.क. एवं  
मिशन निदेशक, एनएचएम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है : —

1. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, सचिवालय जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री, सचिवालय जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, सचिवालय जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, शासन सचिव (बजट) वित्त विभाग सचिवालय जयपुर।
9. निजी सचिव, शासन सचिव वि.र.वा.प.क. एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
10. समस्त संभागीय आयुक्त।
11. समस्त जिला कलेक्टर।
12. समस्त प्रधानाचार्य, चिकित्सा महाविद्यालय।
13. समस्त अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय।
14. निदेशक, परिवार कल्याण/जनस्वास्थ्य/एड्स स्वास्थ्य भवन जयपुर।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जिला परिषद।
16. निदेशक (वित्त), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
17. समस्त संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजकर लेख है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेशों की पालना सुनिश्चित करावें।
19. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी जिला/उपखण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय।
20. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
21. समस्त जिला लेखा प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
22. इन्चार्ज सर्वर रूम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया संबंधित को ई-मेल करवाने की कार्यवाही की जावे।
23. रक्षित पत्रावली।

  
परियोजना निदेशक  
मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष